

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ,
नई दिल्ली-110001, फोन: 23353503, फैक्स: 23753923
वेबसाइट: www.cercind.gov.in



याचिका सं. 47/टीएल/2024

दिनांक: 22.03.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

बीकानेर III नीमराना ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110 016, द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण (बीओओटी) आधार पर ("परियोजना" के रूप में संदर्भित) "राजस्थान आरईजेड पीएच-IV (भाग-1) (बीकानेर कॉम्प्लेक्स): भाग-क से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" की स्थापना के लिए अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है।

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	अनुसूचित सीओडी
1.	बीकानेर के नजदीक उपयुक्त स्थान पर 2x330 एमवीएआर (765 केवी) बस रिएक्टर (110 एमवीएआर के एक स्पेयर यूनिट के साथ) एवं 2x125 एमवीएआर (420 केवी) बस रिएक्टर के साथ 765/400 केवी और 5x500 एमवीए 400/220 केवी बीकानेर III पुलिंग स्टेशन, 6x1500 एमवीए (500 एमवीए के एक स्पेयर यूनिट के साथ) की स्थापना 765/400 केवी 1500 एमवीए आईसीटी - 6 नंबर (एक स्पेयर यूनिट के साथ 19x500 एमवीए) 765 केवी-आईसीटी बे - 6 नंबर 765 केवी लाइन बे - 2 नंबर 330 एमवीएआर बस रिएक्टर - 2 नंबर (7x110 एमवीएआर, एक स्पेयर यूनिट के साथ) 765 केवी रिएक्टर बे - 2 नंबर 400/200 केवी, 500 एमवीए आईसीटी - 5 नंबर 400 केवी आईसीटी बे - 11 नंबर 420 केवी रिएक्टर बे - 2 नंबर 125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर - 2 नंबर 400 केवी लाइन बे - 6 नंबर (बीकानेर के लीलो के लिए 4 नं. - बीकानेर II डी/सी लाइन एवं बीकानेर II डी/सी लाइन के लिए 2 नं.) 220 केवी आईसीटी बे - 5 नं. 220 केवी लाइन बे - 5 नं. (आरई कनेक्टीविटी के लिए) 220 केवी बीसी (2 नं.) और 220 केवी टीबीसी (2 नं.) 220 केवी सोशलइजेशन बे : 1 सेट भावी प्रावधान : निम्नलिखित के लिए स्थान स्विचबल लाइन रिएक्टरों के साथ 765 केवी लाइन बे - 6 नंबर बे के साथ 765 केवी बस रिएक्टर: 1 नंबर स्विचबल लाइन रिएक्टर के साथ 400 केवी लाइन बे - 4 नंबर 400 केवी लाइन बे - 4 नंबर बे के साथ 400/220 केवी आईसीटी: 5 नंबर बे के साथ 400 केवी बस रिएक्टर - 1 नंबर 400 केवी सेक्शनलाइजेशन बे: 2 सेट 220 केवी बीसी (2 नंबर) और 220 केवी टीबीसी (2 नंबर) एमएससी (4x125 एमवीएआर) एवं एमएसआर (2x125 एमवीएआर) सहित स्टेटकॉम (2x±300 एमवीएआर)	एसपीवी अंतरण से 24 मास
2.	400 केवी बीकानेर (पीजी) के दोनों सीकेटी का लीलो - बीकानेर III पीएस पर बीकानेर II डीसी लाइन (क्वेद)	
3.	बीकानेर II पीएस - बीकानेर III पीएस 400 केवी डी/सी लाइन (क्वेद)	
4.	बीकानेर II में 400 केवी लाइन बे का 2 नं. • 400 केवी लाइन बे - 2 नं.	
5.	दोनों अंत में प्रत्येक सर्किट के लिए 330 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिएक्टर सहित बीकानेर III - नीमराना II 765 केवी डी/सी लाइन • बीकानेर III पीएस पर 765 केवी, 330 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिएक्टर - 2 नं. • नीमराना II एस/एस पर 765 केवी, 330 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिएक्टर - 2 नं. • बीकानेर - III पीएस पर 765 केवी, 330 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग उपकरण - 2 नं. • नीमराना II एस/एस पर 765 केवी 330 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग उपकरण - 2 नं.	
6.	नीमराना II एस/एस पर 765 केवी लाइन बे का 2 नं. • नीमराना II एस/एस पर 765 केवी लाइन बे - 2 नं.	

नोट:

- (1) पावरग्रिड द्वारा बीकानेर II पीएस पर 400 केवी लाइन बे के 2 नं. के लिए स्थान प्रदान किया जाएगा।
- (2) नीमराना II एस/एस के विकासकर्ता बीकानेर III - नीमराना II 765 केवी डी/सी लाइन की समाप्ति के लिए नीमराना II एस/एस पर 765केवी लाइन बे के 2 नं. के लिए स्थान प्रदान करेंगे।
- (3) शॉर्ट सर्किट स्तर को सीमित करने के लिए 400 केवी एवं 220 केवी स्तर पर बीकानेर III पीएस पर उपयुक्त सेक्शनलाइजेशन का प्रावधान रखा जाएगा।

- सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 23.1.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
- रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 47/टीएल/2024 में दिनांक 21.3.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोलिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने को प्रस्तावित किया है।
- बीकानेर III नीमराना ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
- नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 8.4.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आयोग द्वारा दिनांक 10.4.2024 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-

(हरप्रीत सिंह पुथी)

सचिव